From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

रोहित बनाम राजीव वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 60 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 30.03.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 150/559/1.26है0 वाके ग्राम महेशरा को रहन, बय न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

27/2/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट में पंचायत मुख्यालय .... पर पेश हुई। पक्षकार उपस्थित/अनुपस्थित ... प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। ... पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दिनांक 08/03/22 को न्यायालय ... में पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर, तिजारा (अलवर)

18/03/22 पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। ... दिनांक 23/03/22 ... पत्रावली मूल वाद के साथ ... को पेश हो।

विशेष
नकल ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अनुवान

.... बनाम ....

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/04/2022 आज पत्रावली कार्यवाही के प्रा० पत्र की सुनवाई हेतु पेश हुआ है। वादी मय अधिव० उपस्थित। वादी ने अपने मूल वाद खारिज करने का निवेदन किया है। प्रा० पत्र के पश्चात मूल वाद वादी के प्रा० पत्र के आधार पर खारिज कर जाता है। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। इस पूर्व में प्रचलित स्थगन आदेश खारिज किया जाकर प्रा० पत्र वाद निर्णीत संलग्न मूल वाद हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०	कविता पहचानकर्ता (हस्ताक्षर) 21/4/22